

सं. 3/4/2017-कल्याण  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग

\*\*\*

द्वितीय तल, जीवन दीप भवन  
संसद मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 2017

1. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक ।
2. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक/ सार्वजनिक वित्तीय संस्था/सरकारी क्षेत्र के बीमा कंपनियां।
3. मुख्य महाप्रबंधक (एचआरडीडी), आर.बी.आई., मुंबई। सचिव, आईबीए, मुंबई।
4. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), प्रधान कार्यालय, दिल्ली।
5. अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), प्रधान कार्यालय, हैदराबाद।
6. निदेशक, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), प्रधान कार्यालय, मुंबई।

**विषय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों को लागू करना।**

**महोदय/महोदया**

मुझे एतद्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की एक प्रति सूचनार्थ एवं आपके संगठन में अधिनियम के यथालागू उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23748725

संलग्नक:यथोक्त

प्रतिलिपि: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अवर सचिव, डीडी-III), पांचवा तल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके अ.शा.पत्र सं.3-1/2017/डीडी-III, दिनांक 02.05.2017 के संदर्भ में।

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार